न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 440–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–12–2012 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हातोद सूचना पत्र कमांक 1337–री.हातोद/2012.

भगवानसिंह पिता मांगीलाल
निवासी ग्राम अजनोटी
तहसील हातोद जिला इन्दौर ....आवेदक

विरूद्ध

1— भगवान पिता सूरजसिंह
2— नारायण पिता सूरजसिंह
3— गीताबाई पति सूरजसिंह
निवासीगण ग्राम खांड्या
तहसील हातोद जिला इन्दौर ....अनावेदकगण

श्री एस.जी. गोखले, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/5/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी हातोद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेकदगण द्वारा संहिता की धारा 32 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी हातोद जिला इन्दौर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 व 2 के पिता एवं अनावेदिका कमांक 3 के पति सूरजसिंह के पिता हिन्दूसिंह के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम अजनोटी तहसील सांवेर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 12 रकबा 26.18 एकड़ थी । पूर्व में वैधानिक प्रकिया का पालन नहीं करते हुए उक्त सर्वे नम्बर का बटांकन किया जाकर सर्वे नम्बर 12/2 रकबा 4.32 एकड़ भूमि को सीलिंग के दायरे में दर्शाया गया था, जबकि सीलिंग के अन्तर्गत ग्राम अजनोटी में कोई भूमि उक्त सर्वे नम्बर की नहीं आई थी, उसके स्थान पर पूर्व मे ग्राम चिमली की भूमि को सीलिंग में लिया गया था । हिन्दूसिंह की मृत्यु उपरांत प्रश्नाधीन भूमि पर सूरजसिंह का नाम दर्ज होना था, तत्पश्चात अनावेदकगण का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज किया जाना चाहिए था । वर्तमान में सम्पूर्ण भूमि अनावेदकगण के कब्जे में है, और उक्त भूमि का किसी को भी पट्टा नहीं दिया जा सकता है, परन्तु प्रश्नाधीन भूमि का अवैधानिक रूप से पट्टा आवेदक को प्रदान कर दिया गया है, जो कि निरस्त किया जाये एवं प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का नाम दर्ज किया जाये । उक्त आवेदन पत्र के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–90/2012–13 दर्ज किया जाकर आवेदक को सूचना पत्र कमांक 1337–री. हातोद/2012 दिनांक 22–12–2012 जारी किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण की ओर से संहिता की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है, जबकि संहिता की धारा 32 के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही नहीं की जा सकती है, क्योंकि संहिता की धारा 32 के अंतर्गत राजस्व अधिकारियों को अन्तर्निहित शक्तियां प्राप्त हैं, जिनका उपयोग न्यायहित में किया जा सकता है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अ–90 मद में प्रकरण दर्ज किया गया है, और अ–90 मद में म0प्र0 आदिवासी जाति संरक्षण (वृक्षगत हित) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर

कार्यवाही की जाती है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही पूर्णतः अवैधानिक है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 8/74–75/अ–1 में दिनांक 4–9–76 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को आवंटित की गई है, और उसके द्वारा प्रीमियम की राशि जमा करने के उपरांत वर्ष 1978–79 के पश्चात प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम बतौर भूमिस्वामी अंकित भी हो गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय में निगरानी प्रचलित रहने के दौरान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, जो कि निरस्त किए जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) ग्राम अजनोटी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 12 रकबा 26.18 एकड़ भूमि अनावेदक के पूर्वज हिन्दूसिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर भूमिस्वामी दर्ज थी। उसकी मृत्यु उपरांत प्रश्नाधीन भूमि सूरजसिंह के नाम अंतरित हुई, और सूरजसिंह की मृत्यु उपरांत अनावेदकगण को अंतरित हुई है ।

(2) म0प्र0 शासन द्वारा सीलिंग प्रकरण कमांक 32/64 पंजीबद्ध कर उक्त भूमि में से 4.32 एकड़ भूमि आदेश दिनांक 1–11–1966 से अतिशेष घोषित की गई है । उक्त भूमि को तहसील न्यायालय द्वारा बिना अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये प्रकरण कमांक 8/74–75 में आदेश पारित कर आवेदक को अवैधानिक रूप से पट्टे पर दी गई है ।

(3) यदि यह मान भी लिया जाये कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को पट्टे पर दी गई है, तब भी उसके द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन कर प्रश्नाधीन भूमि को विकय कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, क्योंकि आवेदक शासकीय शिक्षक है, और उसे भूमि स्वयं कृषि कार्य करने हेतु दी गई है, परन्तु उसके द्वारा भूमि का विकय कर दिया गया है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण की ओर से संहिता की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर प्रकरण दर्ज कर आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया है । संहिता की धारा 32 न्याय की उद्देश्य की पूर्ति के लिये न्यायालयीन प्रकिया के दुरूपयोग को रोकने के लिये अंर्तनिहित शक्तियां राजस्व न्यायालयों को प्रदान करती है । इस प्रकार इस धारा के अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरण के निराकरण के लिये पूरक शक्तियां राजस्व न्यायालयों को प्रदान की गई हैं, इस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर नये सिरे से प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने की शक्तियां राजस्व न्यायालयों को प्राप्त नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करते हुए सूचना पत्र जारी करने में विधि की गंभीर भूल की गई । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अ–90 मद में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है । अ–90 मद में म0प्र0 आदिवासी जाति संरक्षण(वृक्षगत) अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कार्यवाही की जाती है, जबकि अनावेदकगण द्वारा वारिसाना नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः इस दृष्टि से भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतः विधि के प्रावधानों के विपरीत है । कुछ समय के लिये यह मान भी लिया जाये कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटिवश गलत धारा के अंतर्गत गलत मद में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है, तब भी आवेदकगण की ओर से इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि सीलिंग में वैष्ठित नहीं हुई है, और अनावेदक को प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा नहीं दिया जा सकता है तथा उनके पूर्वज के स्थान पर उनके वारिसगण अनावेदकगण का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज होना था, जो नहीं हुआ है, अतः उनका नाम दर्ज किया जाये अर्थात् अनावेदकगण द्वारा वारिसाना नामांतरण चाहा गया है और वारिसाना नामांतरण के सम्बन्ध में संहिता की धारा 109 / 110 के अंतर्गत तहसीलदार को शक्तियां प्राप्त हैं, अनुविभागीय अधिकारी को नहीं । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही विधि विपरीत होकर क्षेत्राधिकार रहित होने से उनके द्वारा जारी सूचना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है । आवेदक के विद्वान

अभिभाषक द्वारा तर्क के दौरान कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी सूचना पत्र के सम्बन्ध में इस न्यायालय में निगरानी प्रचलित रहने के दौरान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, उसे भी निरस्त किया जाये । इस न्यायालय में निगरानी 23–1–13 को प्रस्तुत की गई है, और निगरानी प्रचलित रहने के दौरान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–3–2013 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है । इस सम्बन्ध में 2011 आर0एन0 310 दुर्गाप्रसाद विरूद्ध घनश्याम में 1978 जे0एल0जे0 344 व 769 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त पर आधारित होकर इस आशय का न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अंतरिम आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण लंबित रहने के दौरान अंतिम आदेश पारित कर दिये जाने से पुनरीक्षण व्यर्थ नहीं होता है और यदि अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है, तब अंतिम आदेश स्वतः निरस्त हो जाता है । अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 30–3–2013 भी निरस्ती योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 1337/री.हातोद/2012 दिनांक 22–12–2012 निरस्त करते हुए पारित आदेश दिनांक 30–3–2013 निरस्त किया जाकर, उक्त आदेश के पालन में की गई समस्त कार्यवाही निरस्त की जाती है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर